

## कार्यालय वनमंडल अधिकारी, वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, सागर (म.प्र.)



तिली रोड, फॉरेस्ट केम्पस, सागर (म.प्र.)-470001, दूरभाष-07582-236867, e-mail-dfowlndehi@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2025 / 50 । प्रति सागर, दिनांक -24 / 4 / 2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष– भू-प्रबंध), म.प्र. भोपाल।

विषय :--

जिला सागर अंतर्गत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु (वनमंडल दक्षिण सागर की 3.61 हे. एवं वनमंडल नौरादेही की 268.39 हे.) 272.00 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.—1, जिला सागर को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/IRRIG/143864/2021)

संदर्भ :--

आपका पत्र क्र. / एफ-3 / 100 / 404710 / 0005 / 12 दिनांक 11.03.2025.

उपरोक्त विषयांकित में निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा लिये गये आक्षेपों की पूर्ति कर

निम्नानसार सम्प्रेषित है :-

क्र.	आक्षेप	उत्तर
1	2	3
Ι	The State Govt, has not submitted the technical approval along with hydrological assessment report with the proposal.	आक्षेप का निराकरण आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा।
II	The CWLW, Govt. of Madhya Pradesh vide letter dated 13.03.2024 has informed that वर्तमान में नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य एवं दुर्गावती अभयारण्य को शामिल करते हुये रानी दुर्गावती टाईगर रिजर्व के गठन की अधिसूचना जारी हुई है। However, perusal of the said letter does not reveal whether the project is also falling in the newly proposed Durgawati Tiger Reserve or otherwise.	नौरादेही (वन्य प्राणी) अभयारण्य वनमंडल के क्षेत्र को वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व का कोर क्षेत्र अधिसूचित कराया गया है। अतः परियोजना वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व क्षेत्र में ही प्रस्तावित है।
III	Further, the State Govt, has not clarified as to how much area of instant project is located within and outside the Protected area/ Tiger Reserve. The necessary action for the approval/Wildlife clearance is accordingly required to be taken by the State keeping in view the guideline dated 08.07.2024 issued by the Ministry in this regard.	अभयारण्य क्षेत्र को टाईगर रिजर्व का कोर क्षेत्र मान्य करने के अनुसार पूर्व प्रस्तावित वनक्षेत्र ही अनुमोदन/वन्य जीव अनुमति के लिये प्रस्तावित होगा।
1V	The DGPS map indicating the purpose wise breakup of the forest land proposed for diversion has not been submitted/uploaded on PARIVESH.	आक्षेप का निराकरण आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा।
V	As per DSS analysis it has been reported that the KML file of submergence area has been found uploaded on the PARIVESH and examination of the same through DSS revealed that the user agency has not included an area of 23.386 ha forest land in the proposal which is located under Compartment No. 184, Singpur Range, Hinoti, Noradehi and the same has been marked and included as Non-forest land under submergence by the user agency in the proposal The State Govt. shall submit a revised forest diversion proposal by including the 23.386 ha forest area including all updated information/documents.	परियोजना में आवेदक संस्थान द्वारा आर.एफ. 184, 146 में स्थित घुघरी ग्राम को विस्थापित करने हेतु सहमति दर्शाई गई है। उक्त ग्राम के विस्थापन में आ रहे समस्त व्यय का वहन आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा।
VI	As per DSS analysis report it has been reported that as depicted through satellite imagery, a river is passing through the KML file	उपरोक्त नदी जिसका नाम बमनेर टाईगर रिजर्व के कोर – 1 के मध्य

		of CA proposed at Village Noradehi (70.695 ha) and Village	से होकर उक्त नदी का बहाव है।
		Kushyari (56.365 ha). This needs clarification.	
1	VII	Copy of Notification 5. 700-624-दस-2-75 दिनांक 17.02.1975 has	अधिसूचना की प्रति आवश्यक
		not been submitted with the proposal.	कार्यवाही हेतु ज्ञाप के साथ संलग्न
			प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार। संलग्न :--

(डॉ. ए.ए.अंसारी) <sub>भाव से</sub> वनमंडल अधिकारी, वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, सागर (म.प्र.)

पृ.क्र. / मा.चि. / 2025 / **5**0 **२** प्रतिलिपि :-

2025/50) सागर, दिनांक — २५/५/2025 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.—1, जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि दर्शित आक्षेपों की पूर्ति कर विष्ठ को सीधे प्रेषित करते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करें।

> वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, सागर (म.प्र.)

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक . एक सागर (म.प्र.)

🕾 :07582-285247 ( सिविल कोर्ट के पास ) सागर (ग.प्र.) पिन कोड - 470001

E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पत्र क्र. 1338/कार्य/2025-26

सागर दिनाँक २५/04/2025

प्रति.

विषय:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) भोपाल (म.प्र.)

(मू-प्रबंध) भोपाल (म.प्र.)

जिला सागर के अंतर्गत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 272.00 है. वनभूमि

जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. /8--05/2023-FC दिनांक 10.03.2025

---000----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में उटायी गई आपत्तियों का निराकरण

## निम्नानुसार है:-

बिन्दु. क्र.	उठायी गई आपत्तियाँ	निराकरण
1	The State Govt. has not submitted the technical approval along with hydrological assessment report with the proposal.	बिन्दु क्र. 1 के पालन में "HYDROLOGICAL ASSESSMENT REPORT" एवं "TECHNICAL APPROVAL" उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति संलग्न है। (ANNEX - 01402)
4	The DGPS map indicating the purpose wise breakup of the forest land proposed for diversion has not been submitted/uploaded on PARIVESH.	बिन्दु क्र. 4 के पालन में मेप संलग्न है। (ANNEX -03)

शेष बिन्दु क्र. 2, 3, 5, 6 एवं 7 की जानकारी वन विभाग द्वारा प्रेषित की जावेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः- उपरोक्तानुसार।

(अखिल गिरथर) *कार्यपालन पंत्री* जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागुर (म.प्र.)

पृ. क्र. /३३४ A / कार्य / 2025-26

सागर दिनाँक 🚑 / 04 / 2025

प्रतिलिपि :-

मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सागर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. वन मण्डलाधिकारी वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्वे सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग गढाकोटा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(<del>आयत विश्वर)</del> कार्यपालन येत्री

जल संसाधन सभाग क्रा सागर (म.प्र.)

Desktop/Letter 2023-24